

THE COURT OF SUBDIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR, CHAIBASA

Misc. Case No. - 87/2017  
U/s 147 Cr P.C.

मो० ईशूल खान

बगाम


मो० अलील

29.07.17

WHEREAS on perusal of the police report vide their Non FIR No. आवेक मो० ईशूल खान पे साइसफ खान साइ बडीबाजार...  
धानासुंदर जिला पं सिंधुपत के आवेक पर

I am satisfied that there is a bonafied land dispute between the aforesaid parties, and the said dispute cannot be decided unless a proceeding u/s 147 Cr. P.C. is drawn up. I also feel that there is a serious apprehension of breach of the peace between the parties with relates to right of use of the land shown below in the schedule.

I there fore in exercise of my power u/s 147 Cr. P.C., do here by direct the member of both the parties to appear in my count and to file written statement in respect of their claim for the right of use of disputed land by 29.08.2017.....

  
Sub Divisional Magistrate  
Sadar, Chaibasa

अनुसूची  
(विवादित गली का विवरण )

मोहल्ला बडी बाजार, वार्ड नं-11 (पुराना), नया खाना नं-3, नया लोड नं-262, हॉल सर्वे अतिथान में "अनाबाद सर्वसाधारण के नाम से करे होकर है, जिसकी चौकड़ी निम्न प्रकार है :-

30-रोड, नं-लोड 210-263, पू- लोड 216 प- लोड 275

275

03.11.17

अभिलेख उपस्थापित। उद्योग पक्ष की ओर से वकालत दायि प्रस्तुत किया गया है।

Report to be called for from the C.O concerned. Next date of hearing to be fixed on 28.11.17.

03/11/17

28.11.17

अभिलेख उपस्थापित। जूरील अधिकारी सूदर से ऑच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत दायि नहीं की गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व सं D/C द्वारा समग्र की मांग आवेदन की गई है। पंजीयन पदाधिकारी प्रायः कार्य में व्यस्त है। अभिलेख दिनांक 15.12.17 को रखा।

अनुपूरुषा

15.12.17

अभिलेख उपस्थापित। जूरील अधिकारी सूदर चाडिवासा के द्वारा ऑच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत दायि प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के ओर से D/C दायित्व करते हैं। समग्र की मांग की गई है। अभिलेख दिनांक 22.12.17 को रखा।

अनुपूरुषा

22.12.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से कोई पक्षी नहीं की गई है। द्वितीय पक्ष के ओर से प्रतिनिधित्व सं D/C दायित्व करते हैं। समग्र की मांग की गई है। अभिलेख दिनांक 05.01.18 को रखा।

अनुपूरुषा

05.01.18 अगिल्लैय उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा वकालतन हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन की गई है। अगिल्लैय दिनांक 02.02.18 को रहे।

अनु०२०५१०

02.02.18 अगिल्लैय उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालतन हाजिरी भी गई है। द्वितीय पक्ष के ओर से प्रतिनिधित्व हेतु अ/c हेतु समझ की मांग की गई है।

Defendant to personally appear in court on 09.02.18

09.02.18

09.02.18 अगिल्लैय उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के द्वारा W/S दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से वकालतन हाजिरी गई है। पीठासीन पदाधिकारी शत्रु कर्ष में बंध रहे। अगिल्लैय दिनांक 09.03.18 को रहे।

W/S filed by 2nd party

अनु०२०५१०

09.03.18 अगिल्लैय उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालतन हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालतन हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।

O.P has now informed this court that plot numbers mentioned by Pet. are incorrect. Petitioner to examine and report back to this

Court on 16.03.18

2  
16/03/18

16.03.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी दी गई है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। बाद में प्रथम पक्ष की ओर से जोर का संशोधन हेतु आवेदन की गई है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख 13.04.18 को रखा।

13.04.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 04.05.18 को रखा।

अनु 120510

04.05.18

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।

अनु 020510

Put up on 08.05.18

2  
08/05/18

08.05.18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी दी गई है। द्वितीय पक्ष के द्वारा ड/क दाखिल किया गया है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अभिलेख दिनांक 25.05.18 को रखा।

etc filed by and party

अनु 120510

25.05.18 ~~प्रामाण्य उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। पीछे पीछे पराधिकारी द्वारा कार्य में व्यस्त है।~~  
प्रामाण्य दिनांक 15.05.18 को रखा।

0 15.05.18 ~~प्रामाण्य उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से कोई परती नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष से ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। बाद में प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है।~~

Parties to appear on 22.06.18.

22.06.18 ~~प्रामाण्य उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से वकालत हाजिरी प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से कोई परती नहीं किया गया है।~~

Plot mentioned in the petition is under contention. Hence this proceeding is now dropped.

Q.P.  
22/06/18.